प्रेस विज्ञप्ति
27.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग में निविदा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 22.78 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, जब भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्रालय, पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। धन शोधन में शामिल व्यक्तियों की कुर्क की गई संपत्तियों में लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य हिस्सों में स्थित अचल संपत्तियां और एफडीआर, सोने के आभूषण, बुलियन और बैंक खातों के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में 'टेंडर घोटाले' से संबंधित भा.द.स.,1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सतर्कता ब्यूरो, पंजाब द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि तत्कालीन मंत्री भारत भूषण आशु ने निविदाओं के आवंटन में चयनित ठेकेदारों का पक्ष लिया और उन्हें अधिक लाभ का वादा किया, जिससे राजदीप सिंह नागरा, राकेश कुमार सिंगला और पंजाब फूड एंड नागरिक आपूर्ति विभाग के कुछ सरकारी अधिकारियों सहित अन्य व्यक्तियों के माध्यम से उनसे रिश्वत ली गई। शेल संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग करके चल और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए रिश्वत के पैसे का उपयोग किया गया।

इससे पहले, ईडी ने मामले में पंजाब के विभिन्न हिस्सों में 28 स्थानों पर 24.08.2023 और 04.09.2024 को दो तलाशी ली थीं।

इसके अलावा, जांच के दौरान, भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु और उनके करीबी सहयोगी राजदीप सिंह नागरा को धन शोधन का अपराध करने के लिए क्रमशः 01.08.2024 और 04.09.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।